

4
19.9.2025

ग्रामीण सेवा शिबिर - 2025 शासन गांवों के संग अभियान-2021

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड नावा जिला कुम्भलगुवा
विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।
द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का जाकीगाट राजस्व भूमि जाकीगाट खाता संख्या 124,9,10,115, खसरा संख्या रकबा हेक्टेयर में	0 भुराराम पुमानका जमि जाहता 0.12	शंकरलाल पुमानका जमि जाहता 0.12

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार संज्ञा व वंशवली
5. प्रार्थी द्वारा वंशवली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशाशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

मू.अ. निरीक्षक नावा 19.9.2025

तहसीलदार की टिप्पणी :-
शुद्धि की अतिशय ही जरूरी थी

हस्ताक्षर पटवारी
पटवार मण्डल
महसूल नावा जिला डीडवाना-कुम्भलगुवा
19.09.25
इस्ताक्षर तहसीलदार
जिला डीडवाना-कुम्भलगुवा
ग्रामीण सेवा शिबिर - 2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी-कुम्भलगुवा जिला सजसमंद
कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ 185
आदेश

प्रार्थी शंकरलाल निवासी जाकीगाट के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगुवा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

2025/580

कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/185
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
दिनांक:-

उपखण्ड अधिकारी